



बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE)

शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt. of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना - 800001
Chanakya National Law University Campus, Nayay Nagar, Mithapur, Patna - 800001
Website : www.bboseonline.bih.nic.in
Email ID : info@bbose.org
Phone No.: 0612-2385490, 2385491, 0612-2385492,



बिहार सरकार

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना की अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

बोर्ड कार्यालय के गोदाम में रखे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों को नामांकित शिक्षार्थियों के आधार पर संबंधित अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने हेतु बिहार के 38 (अड़तीस) जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भाड़े के वाहन से भेजा जाना है।

उक्त कार्य हेतु निबंधित एवं प्रतिष्ठित ट्रेभल एजेंसी को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना कार्यालय से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चिन्हित गोदाम तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु मुहरबंद कोटेशन दिनांक-28.01.2026 तक निम्नांकित शर्तों के आधार पर आमंत्रित की जाती है-

- 1) एजेंसी का **GST Number** होना अनिवार्य है। साथ ही कोटेशन के साथ **Update GST Return** की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है।
- 2) उक्त कार्य से संबंधित दर सीलबंद लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाना है।
- 3) जिलावार अध्ययन सामग्रियों के लोडिंग-अनलोडिंग एवं स्टॉकिंग से संबंधित व्यय वाहन हेतु कोटेशन में दिए गए दर में सम्मिलित होगा।
- 4) बोर्ड कार्यालय के गोदाम से अध्ययन सामग्रियों (पाठ्य-पुस्तक) को सुरक्षित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पहुँचाने तक सारी जवाबदेही ट्रेभल एजेंसी की होगी।
- 5) ट्रेभल एजेंसी द्वारा कभर स्वरूप एवं तिरपाल युक्त वाहन उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6) बोर्ड द्वारा कार्य समाप्ति के उपरांत प्राप्त विपत्र से नियमानुसार **GST** एवं आयकर की कटौती करने के उपरांत एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
- 7) बोर्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु दिए गए समय-सीमा के अंदर एजेंसी को कार्य सम्पन्न करना होगा।
- 8) एजेंसी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अध्ययन सामग्रियों को पहुँचाने के उपरांत प्राप्ति रसीद की मूल प्रति बोर्ड कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके आधार पर विपत्र के भुगतान से संबंधित कार्यवाई की जाएगी।
- 9) बोर्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु पूर्व में किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
- 10) बिना कारण बताए कोटेशन को रद्द करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव,

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण,
एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।